

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-1, बरेली।

परिवाद सं० 16202/2022

जान मोहम्मद बनाम सलीम खान आदि

दिनांक:- 19.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी नहीं दिया गया है। परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त एवं अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल देने के लिए आज भी कोई उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत परिवाद दिनांक 14-11-2022 को परिवादी की परीक्षा अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने हेतु नियत चल रही है। अतः परिवाद पत्र के अभिकथन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कारित किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-1, बरेली।